संलग्नक- 01

फैक्स / अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण (115)

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश

5वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्र संख्या:पीआर-30-212 /2013

दिनांक:सितम्बर 07,2013

1- मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे लखनऊ/मुरादाबाद।

2- मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर मध्य रेलवे आगरा/इलाहाबाद।

कृपया अवगत कराना है कि हावडा-अमृतसर एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर पर दैनिक यात्रियों द्वारा महिलाओं के साथ की गई छेड़-छाड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-48/2011 में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या-9543(एमबी)/2011 पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा हेतु रेलवे विभाग एवं राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में दिनांक- 27-08-2013 को सुनवाई के दौरान रेलवे विभाग एवं राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एक कार्ययोजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था।

2- वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ ने अवगत कराया है कि दैनिक यात्री (एम0एस0टी0 धारक) को आरक्षित बोगी में यात्रा करने का अधिकार नहीं है परन्तु दैनिक यात्री अनाधिकृत रूप से आरक्षित बोगी में घुसजाते है, और सीट पर बैठने को लेकर यात्रियों के साथ खासकर महिला यात्रियों के साथ अभद्रता करने की घटनाये प्रकाश में आ रही है।

3- ट्रेनों में बढ रही उपरोक्त घटनाओं के दृष्टिगत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ट्रेन नं0 12419/12420 गोमती एक्सप्रेस जो रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ से नई दिल्ली एवं रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से चारबाग लखनऊ तक चलती है, में यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों के भयमुक्त/शान्तिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित किये जाने हेतु गोमती एक्सप्रेस अप एवं डाउन ट्रेन में 01 उ0नि0 एवं 10 आरक्षी की एक विशेष एस्कोर्ट टीम नियुक्त की जा रही है जो दिनांक-10-09-2013(मंगलवार) से आरम्भ होगी। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में इस मुख्यालय के पत्र संख्या-पीआर-30-2012/2013 दिनांक-07-09-2013 के द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर पुन: अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

4- अत: आपसे अनुरोध है कि मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ विशेष रूप से गोमती एक्सप्रेस की प्रत्येक स्टेशन पर रेलवे/आरपीएफ/जीआरपी की संयुक्त चेकिंग करा कर आरक्षित कोचों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले दैनिक यात्रियों(एम0एस0टी0 धारक) को आरक्षित कोचों में अनधिकृत यात्रा करने से रोकने हेतु रेलवे एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि रेल यात्रियों खास कर महिलाओं के साथ हो रहीं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सकें।

संलग्नक- यथोपरि ।

9/9/13

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक रेलवे
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि-

1- मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2- मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।